



2026:AHC:31518

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2907/2026

प्रमोद शंकर पाण्डेय

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : विजय त्रिपाठी

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत निगरानी संख्या 148/B, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या C-2011150000254, वर्ष 2012 से अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ के समक्ष विचाराधीन है, इसीलिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।
2. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात यह ज्ञात होता है कि किन्हीं अज्ञात कारणों से उक्त निगरानी पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, किंतु आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. मामले के इस पहलू को देखते हुए और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है कि वे उनके समक्ष लंबित उपरोक्त निगरानी का निस्तारण, विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से और अनिवार्य रूप से इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

12 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"